जय प्रकाश कसवां मेमोरियल शिक्षण संस्थान, झुंझुनूं

नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का विवरण

क.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	पद
1	उमेश कसवां	रामदेव सिंह	जीत नगर, झुंझुनूं	अध्यक्ष
2	विजेन्द्र कसवां	तमसुख राम	के.वि. के पिछे, झुंझंनूं	उपाध्यक्ष
3	बिरजू सिंह	झाबर राम	रसोड़ा, झुंझुनूं	मंत्री
4	कमलेश कसवां	राजेश	नयासर, झुंझुनूं	कोषाध्यक्ष
5	विजेन्द्र सिंह	परसाराम	सिरियासर का बास, झुंझुनूं	सदस्य
6	विरेन्द्र नेहरा	हीरालाल कि	तारा का बास, झुंझुनूं	सदस्य
7	वेद कुमार	रामदेव सिंह	खीवरसर, झुंझुनूं	सदस्य

अध्यक्ष

जय काश करतां मधीं ले शिक्षण मध्यान, मुन् कोषाध्यक्ष


जयवकाश कस्वां मेमोरियल िक्त मंज्यान, भरभन्

ज्याकात कार्ने सेनोरंग्यस्य शिक्षण संस्थान, मृक्त

कार्यालय रिजिस्ट्रार सरथाए झुंझुन राजस्थान सोसायटी अधिनियन 1953 को धार 19 के उ

प्रस्त उड अप्रमाणित प्रति दिने की दिनां की एस।

रिजिस्ट्रार संस्थाएँ



 इम मिन्न इस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय, व पूर्ण पते झिन्न प्रकार है इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे राजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है :-नाम व पिता का नाम र उमेश कुमारकरवा का रामदेवकरता - ट्यापार - जीतनगर मुंगुन २ निजेन्द्र सिंह पुत परसाराम - ठेकेदार - पु.वो. सिरियासर्कावास 3 विरेन्ट्र नेहरा क्र हीरालाल. - न्यापार - 1/47 हाडासंग कोई बालोतरा Vivendo 4 किरज् सिंह पुल झाबरराभ - सेनानिव्य कर्नल - अ पी. रसोड्रा भीमसर इ . वेद कुमार पुत्र रामदेव - नोकरी - गांव. खिखासर पो -चन्दवा-ह विजेन्द्र कस्यां युवं तनस्थ - त्यापार - केन्द्रीय विद्यालय वे पिछ र सीमती कमलेश पितन राजेशकरमां - सिहिणी - यु.पी - नयासर क्रिक्ट a करमचन्द कु कानाराम - बीकरी - युवी - क्रिकार १ पतन कुलहरी कु द्वानन्द मेर् नेगापार ।।१५१ हाक्रीसंग बोर्ड खेंग्रेरं यमन हुंगरे 10 मी सलीम प्रव मुस्ताक अली - ट्यापार - इन्दिरा नगर च्छे भ्युन्र 11. रद्वीर रिष्टं प्रत किरवस्तान - व्यापार . मु पो मातूसरी कंकर कि 12 मनीराम पुल कानाराम - सैनानिवृत सैनिक - भुषो खुरासर भग (11 13. सम्जनकुमार पुत्र रामकुमार सिंहं - सेवानिकृत सैनिक - केन्द्रीय विद्यालय एक्जन 14 श्योदस प्रत कानाराम - सेवा निवृत सैनिक - मु.के. भूर 15 सुरेन्द्र सिंह पुन रद्युवीर सिंह - त्यापार - । या १३ हाजितिंग बीर केलरे-हम निम्न हस्ताक्षकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं है। (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पा (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता) डा थ्यमकरण सिंह कालेर

तम संस्था अयप्रकाश करवा में मिरिशक शिद्राण समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

विधान नियमावली

संस्था का नाम : इस संस्था का नाम अध्यप्रकाश करता अभारियल शिक्षण समिति / सोसायटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।

इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जीतिनागर व्यसन्त विहार, अध्यक्त राजा पंजीकृत कार्यालय : रामस्त केन्द्रका निलाहै तथा इसका कार्यक्षेत्र रामस्त किन्नु तथा कार्यक्षेत्र क्षेत्र तक सीमित रहेगा।

संस्था का उद्देश्य इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. उच्च स्तर की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने हेतू ।

2 स्त्री शिक्षा के स्तर की ऊंचा उठाना

3. असहाय वच्यों के बीधिक रवं आधिक युधारके लिए प्रयत्न करना

4. रामान में विद्यामान नुराईयों की दूर करने का प्रथलन

5. प्यावरण सुधार के सन्दर्भ में सम्मावनाएं की जना

6. मानवाधिकारों की रक्षा करना

र समाजिक रंव राजनीतिक नागककता पेदा करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे। सदस्यता

संस्था के कार्यक्षेत्र में निवासक्तर हैं।

बालिग हो।

पागल, दिवालिया न हो

संस्था के उद्देश्यों में रूचि आस्थानस्खते हो।

संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

सदस्यों का वर्गीकरण संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे-

- संरक्षक
- विशिष्ठ
- सम्माननीय
- साधारण

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

सदस्यों द्वारा प्रदत्त उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :--


शुल्क व चन्दा ...वार्षिक / आजन्म संरक्षक

> विशिष्ठ राशि ...वार्षिक / आजन्म

सम्माननीय राशि.....

राशि..... साधारण .वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु....को मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।




Kamleth कोषाध्यस

सदस्यता से निष्कासन संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा। 1 मृत्यु होने पर 2 त्याग पत्र देने पर 3 संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4 प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर तिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्माण हेतु वैद्य समझी जावेगी तथा साधारण समा का बहुमत का निर्णय अन्ति होगा। संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण समा का निर्माण करेंगे। साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे। प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टी करना। संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्ततन अथवा परिवर्द्धन करना (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।) साधारण सभा की बैठकें : साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष / मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। साधारण समा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यआवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी। कोरम के अभाव में बैठक स्थिगित की जा सकेगी। जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे पूर्व ऐजेण्डा निश तस्था के 1/3 अंकित 15 सदस्य इनमें जो भी कम ही के लिखित आवेदन करने पर मंत्री अध्या द्वारा । माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। अगिरित अवधि में अध्यक्ष मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उस वक्त 15 सदस्यों मे से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे। संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे। अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक कोषाध्यक्ष-एक सदस्य-तीन जिक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें कम रखना चाहें तो कम रख ले) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 राप्य पदाधिकारी उत्तीत सदस्य कुल न स्वात सदस्य होंगे। संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा कार्यकारिणी की निर्वाचन द्वारा किया जावेगा। . चुनाव प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी। कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे। 1. सदस्य बनाना और निष्कासित करना। वार्षिक बजट तैयार करना। Kamles कोषाध्यक्ष

- 3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।
- वैतिनक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वैतन मतों का निर्धारण करना, सेवा मुक्त करना।
- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।
- 14. कार्यकारिणी की बैठक
- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2. बैठक का कारम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आघे से अधिक होगा।
- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन से पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिपालन से कम समय में दी जा सकती है।
- 4. कोरम के अमाव में बैठक स्थिगत की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगबी। ऐसी स्थिगत बैठक कोरम में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थिगत बैठक में उपस्थिति सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थित अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टी आगामी आमसमा में करना आवश्यक होगा।
- 15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :
 - (क) अध्यक्ष
- 1. बैठक की अध्यक्षता करना
- 2. मत बराबर आने पर निर्णाय
- 3. बैठक आहूत करना।
- 4. संस्था का प्रतिनिधित्व कर्मना ।
- 5. सविदा तथा अन्य दस्तावेजी पर् हस्ताक्षर करना।
- (ख) उपाध्यक्ष
- 1. अध्यक्ष की अनुपरिधति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- (ग) मंत्री
- 1. बैठकें आहूत करना।
- 2. कार्यवाही लिखाना तथा रिकार्ड रखना।
- 3. आय-व्ययं पर नियंत्रण करना।
- 4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6. पत्र व्यवहार करना।
- सम्पति की सुरक्षा हेतु वैद्यानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।
- (घ) उपमंत्री
- 1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य का संचालन करना।
- 2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी / मंत्री द्वारा सौंपे जावे।
- (इ) कोषाध्यक्ष
- 1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2. दैनिक लेखों प्र नियन्त्रण रखना।
- 3. चन्दा / शुल्क / अनुदान / आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4. अन्य प्रदत कार्य सम्पन्नं करना।

Walwan 314121



Kaintesh

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-संस्था का कोष सहायता 2. शुल्क 3. अनुदान राजकीय अनुदान (क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बँक में सुरक्षित की जायेगी। (ख) अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देने सम्भव होगा। कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकता निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एकम्श्त स्वीकृत कर सके। अध्यक्ष..... मन्त्री कोषाध्यक्ष ..रुपये उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी। संस्था के समस्त लेखो जोखों का वार्षिक अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड संस्था का अंकेक्षण: से कराया जावेगा। संस्था के विधान में परिवर्ततन 19. संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा। संस्था का विघटन : यदि स्था का विघटन अवस्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अवल सम्पति का र्यान उद्देश्य वाली स्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त रार्यवाही पाजुर्जान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। संस्था के लेखा जोखे का निरीक्षण रजिस्ट्रार संस्थायें झुन्झूनू को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। वित्तीय वर्ष 22. संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रेल से मार्च होगा। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) करका में दिशासी समिति / सोसायटी / संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है। Tribana Francisca sins प्रसाणित किया जाना है कि वह बत्यप्रति है में ब्रह्मायी सम्बद्ध मुकल दन का वि मन्त्री